

संचिका सं०-७ / बजट-४६-१२ / २०२१(खंड-०२) - ४८(३)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भाट्टा
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

अवर सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- २२.०५.२०२५

विषय:- राजकोषीय माध्यम से NIIM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में ६०:४० के अनुपात में केन्द्रांश मद की राशि रु० ५,४२,३२,००,०००/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड़ बत्तीस लाख) मात्र सहायक अनुदान मद में एवं उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० ३,६१,५४,६६,६६६/- (रुपये तीन अरब इकसठ करोड़ चौवन लाख छियासठ हजार छः सौ छियासठ) मात्र अर्थात् कुल रु० ९,०३,८६,६६,६६६/- (रुपये नौ अरब तीन करोड़ छियासी लाख छियासठ हजार छः सौ छियासठ) मात्र के आलोक में वर्तमान में केन्द्रांश मद की राशि रु० ५,४२,३२,००,०००/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड़ बत्तीस लाख) मात्र एवं उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० ३,४५,९१,०८,०००/- (रुपये तीन अरब पैतालिस करोड़ इक्यानवे लाख आठ हजार) मात्र अर्थात् कुल रु० ८,८८,२३,०८,०००/- (रुपये आठ अरब अठ्ठासी करोड़ तेईस लाख आठ हजार) मात्र सहायक अनुदान मद में वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में बजटीय उपबंध के अधीन उपलब्ध राशि से राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित्त आवंटन ।

महाराय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक-९६३, दिनांक-२१.०५.२०२५ द्वारा उपलब्ध करायी गई माँग के आलोक में राजकोषीय माध्यम से NIIM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में ६०:४० के अनुपात में केन्द्रांश मद की राशि रु० ५,४२,३२,००,०००/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड़ बत्तीस लाख) मात्र सहायक अनुदान मद में एवं उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० ३,६१,५४,६६,६६६/- (रुपये तीन अरब इकसठ करोड़ चौवन लाख छियासठ हजार छः सौ छियासठ) मात्र अर्थात् कुल रु० ९,०३,८६,६६,६६६/- (रुपये नौ अरब तीन करोड़ छियासी लाख छियासठ हजार छः सौ छियासठ) मात्र के आलोक में वर्तमान में केन्द्रांश मद की राशि रु० ५,४२,३२,००,०००/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड़ बत्तीस लाख) मात्र एवं उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० ३,४५,९१,०८,०००/- (रुपये तीन अरब पैतालिस करोड़ इक्यानवे लाख आठ हजार) मात्र अर्थात् कुल रु० ८,८८,२३,०८,०००/- (रुपये आठ अरब अठ्ठासी करोड़ तेईस लाख आठ हजार) मात्र सहायक अनुदान मद में वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में बजटीय उपबंध के अधीन उपलब्ध राशि से राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायी जाती है ।

2- उक्त प्रसंग में NIIM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60 40 के अनुपात में केन्द्रांश मद की राशि रु० 5,42,32,00,000/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड बतीस लाख) मात्र सहायक अनुदान मद में एवं उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 3,61,54,66,666/- (रुपये तीन अरब इकराठ करोड चौवन लाख छियासठ हजार छ सौ छियासठ) मात्र अर्थात् कुल रु० 9,03,86,66,666/- (रुपये नौ अरब तीन करोड छियासी लाख छियासठ हजार छ सौ छियासठ) मात्र के आलोक में वर्तमान में केन्द्रांश मद की राशि रु० 5,42,32,00,000/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड बतीस लाख) मात्र एवं उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 3,45,91,08,000/- (रुपये तीन अरब पैतालिस करोड इक्यानवे लाख आठ हजार) मात्र अर्थात् कुल रु० 8,88,23,08,000/- (रुपये आठ अरब अठ्ठासी करोड तेईस लाख आठ हजार) मात्र विभागीय राज्यादेश सख्या- 47(7) दिनांक- 22-05-2025 के तहत सहायक अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित आवंटन प्रदान की जाती है।

3- राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रसंग में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से आवटनादेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है -

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR						
Details of Fund receivable from Govt of India(2025-26)						
Sl No	Letter no			Amount(Central Shares 60%)	Amount(State Shares 40%)	Total
1	Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission					
	G 27017/01/2025-26/NHM-F/FTS-8328765 dt 20 05 25	General	3601 06 101 16 06 31 (GBS)	2720800000	1813866667	4534666667
			3601 06 101 16 06 35 (GBS)	3023000000	2015333333	5038333333
			Total	3023100000	2015400000	5038500000
		SC	3601-06-789-80-01-31 (GBS)	776800000	5178666667	1294666667
			3601 06 789 80-01 35 (GBS)	863000000	5753333333	1438333333
			Total	863100000	575400000	1438500000
		ST	3601 06-796 86-01 35 (GBS)	15700000	1046666667	2616666667
			3601 06-796 86 05 35 (GBS)	1800000	1200000	3000000
			Total	17500000	1166666667	2916666667
		PMSSN	3601-06-101-16-08-31	1467400000	9782666667	2445666667
		DA-JGUA	3601 06-796 86 05 31	46900000	312666666	781666666
			3601 06-796 86 05 35	5200000	34666666	86666666
			Total	52100000	34733333	86833333
			Total (General+SC+ST+PMSSN+DA JGUA)	5423200000	3615466666	9038666666

4- केन्द्रांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्षो अन्तर्गत उपबधित राशि से विकलनीय होगा -

- (i) माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाए, उपशीर्ष- 0209- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210012000209, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष- 31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु० 6,00,00,00,000/- (रुपये छ अरब) मात्र में से रु० 2,72,08,00,000/- (रुपये दो अरब बहत्तर करोड आठ लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

- (ii) माग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएं, उपशीर्ष-0209-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210012000209**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 06**-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु० 7,00,00,00,000/- (रुपये सात अरब) मात्र में से रु० 30,23,00,000/- (रुपये तीस करोड़ तेईस लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (iii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN) के तहत केन्द्राश मद में माग की गई राशि माग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएं, उपशीर्ष-0209-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210012000209**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 06**-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु० 7,00,00,00,000/- (रुपये सात अरब) मात्र में से रु० 1,46,74,00,000/- (रुपये एक अरब छियालिस करोड़ चौदहतर लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (iv) माग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210017890201**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 04**-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित राशि रु० 4,00,00,00,000/- (रुपये चार अरब) में से रु० 77,68,00,000/- (रुपये सतहत्तर करोड़ अडसठ लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (v) माग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210017890201**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 06**-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबधित राशि रु० 4,00,00,00,000/- (रुपये चार अरब) में से रु० 8,63,00,000/- (रुपये आठ करोड़ तिरसठ लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (vi) माग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0219-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन **विपत्र कोड-20-2210017960219**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063 **विषय शीर्ष-31 04**-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु० 25,00,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड़) में से रु० 1,75,00,000/- (रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (vii) धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के तहत केन्द्राश मद में माग की गई राशि माग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0219-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन **विपत्र कोड-20-2210017960219**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063 **विषय शीर्ष-31 06**-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु० 80,00,00,000/- (रुपये अस्सी करोड़) में से रु० 5,21,00,000/- (रुपये पाँच करोड़ इक्कीस लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी। इस विपत्र कोड से विकलनीय राशि धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के तहत अच्छादित समुदायों के प्रक्षेत्र में ही व्यय किया जा सकेगा।

48(7)
22-05-2025

by

5- **राज्यांश मद** की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्षो अन्तर्गत उपबधित राशि से घटकवार विकलनीय होगा —

- (i) माग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाए, उपशीर्ष-0309-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एव राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210012000309**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 04-** सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु० 1,00,00,00,000/-(रुपये एक अरब) मात्र में से रु० 50,00,00,000/-(रुपये पच्चास करोड) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (ii) माग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाए, उपशीर्ष-0309-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एव राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210012000309**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 06-** सहायक अनुदान- गैर वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु० 1,00,00,00,000/-(रुपये एक अरब) मात्र में से रु० 73,73,08,000/-(रुपये तिहत्तर करोड तिहत्तर लाख आठ हजार) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (iii) माग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110- अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0303-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एव राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210031100303**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 04-**सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु० 1,00,00,00,000/-(रुपये एक अरब) मात्र में से रु० 2,17,33,333/- (रुपये दो करोड सत्रह लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (iv) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN) के तहत राज्यांश मद में माग की गई राशि माग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110- अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0303-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एव राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210031100303**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 04-**सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु० 1,00,00,00,000/-(रुपये एक अरब) मात्र में से रु० 97,82,66,667/- (रुपये सतानवे करोड बिरारसी लाख छियासठ हजार छ सौ सडसठ) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (v) माग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110- अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0303-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एव राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210031100303**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 06-**सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु० 60,00,00,000/-(रुपये साठ करोड) मात्र में से रु० 60,00,00,000/-(रुपये साठ करोड) मात्र की राशि विकलनीय होगी।



- 7— इस राशि की निकासी अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति वित्त विभाग के पत्र सं०—870 दिनांक—25.01.2024 के दिशा निर्देशों के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि का व्यय करेंगे।

D:\acres\BIRDCOUNT\2025-26\ANNUAL REPORTS\2025-26 ANNUAL A - standardised (7021-25) dyc

